


27/3/18

.....उपस्थित
साबिक अधीन दिनांक..... 16.6.16
की पालन में पत्रावली वास्तु.....
दिनांक..... 11/5/18को पेश हो। R A Nood

जायी करे)


उपखण्ड अधिकारी
कानपुर (अनवर)

11/5/18

दफ्तरी के अन्तर्गत के पेश हुई। वकील
वादी उपस्थित। वकील वादी ने दावा को
Not Proven किया है। बिना दावा वादी
Not Proven में खारिज किया जाता है।
जमानत के रूप में हुजूम लेका सिद्धांत
को ले। हुजूम 
S DOK

027
3151
